

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 339/2014
संस्थित दिनांक— 24.12.2014

मुर्तुजा शाकीर पिता फखरुद्दीन बोहरा
प्रो.पा. मध्य प्रदेश हार्डवेयर मेन रोड
ठीकरी, जिला बड़वानी

.....**परिवादी**

वि रू द्ध

असफाक ठेकेदार पिता मुस्ताक झायवर,
मुसलमान निवासी बलकवाड़ा, तहसील
कसरावद, जिला खरगोन

.....**अभियुक्त**

परिवादी द्वारा	— श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 10/12/2016 को घोषित)

1— परिवादी द्वारा दिनांक 25.04.2014 को प्रस्तुत परिवाद के आधार पर आरोपी के विरुद्ध परिवादी को दिनांक 30.11.2013 को दिन के किसी समय अंजड़ में परिवादी को दायित्व के अधीन एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा खरगोन में अपने खाते क्रमांक 09202560001147 का चेक क्रमांक 000008 दिनांक 20.12.2013 को रुपये 58,000 /— प्रदान करके जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से अनादरित होने और उसकी सूचना परिवादी के अधिवक्ता द्वारा आरोपी को प्रस्तुत किये जाने के बाद भी चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने के आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अभियोग है।

2— प्रकरण में आरोपी ने प्रदर्श पी 1 का चेक क्रमांक 000008 दिनांक 20.12.2013 को रुपये 58,000 /— अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया था और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त चेक उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा प्रदर्श पी 10 के आधार पर उसके द्वारा जारी किया गया था। प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पूर्व में उक्त परिवाद अंजड़ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा न्याय दृष्टांत दशरथ रुपसिंह राठौड़ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य कि.अपील क्रमांक 2287/09 दिनांक 01.08.2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त परिवाद दिनांक 15.12.2014 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये परिवादी को वापस किया गया था तथा वहां पर आरोपी का सम्पूर्ण विचारण हुआ था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खरगोन, म.प्र. (हर्षिता शर्मा) द्वारा दिनांक 16.07.2016 को आदेश पारित करते हुए उक्त

परिवाद इस न्यायालय को अंतिम तर्क की स्टेज पर वापस किया गया।

3— परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी की म.प्र. में हार्डवेयर के नाम से मेन रोड ठीकरी में फर्म है। वह फर्म का प्रोप्राईटर है, आरोपी नहर केनल का निर्माण का ठेकेदार है। आरोपी ने परिवादी की फर्म से सिमेंट उधार क़य की थी जिसके भुगतान के लिये आरोपी ने परिवादी को चेक दिया था जो अनादरित होने पर परिवादी ने आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 एवं भा.द.वि. की धारा 420 का परिवाद अंजड के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसका आपराधिक प्रकरण क्रमांक 496/13 था। न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में आरोपी ने परिवादी से समझौता कर परिवादी को मौखिक रूप से सम्पूर्ण राशि एक मुश्त वापस करने का अश्वासन दिया था तथा दिनांक 30.11.2013 को साक्षियों के समक्ष आपसी राजीनामा परिवादी के पक्ष में लिखते हुए समझौता राशि भुगतान के लिये परिवादी को आरोपी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा खरगोन के अपने खाते क्रमांक 09202560001147 चेक क्रमांक 000008 दिनांक 20.12.2013 को रुपये 58,000/— का अपने हस्ताक्षर से दिया था, जो चेक परिवादी ने भुगतान प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक शाखा ठीकरी में अपने खाते में जमा किया था तो उक्त चेक परिवादी को दिनांक 24.02.2014 को आरोपी के खाते में अपर्याप्त धन राशि होने से अनादरित होकर वापस प्राप्त हुआ था। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र वर्मा के द्वारा आरोपी को उक्त चेक की राशि मांग का सूचना पत्र दिनांक 25.03.2014 को आरोपी के निवास स्थान के पते पर दिया था जो सूचना पत्र आरोपी को दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त हुआ था। सूचना पत्र तामिली की सूचना परिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 07.04.2014 को मिली जिस पर सलमा नाम की महिला के हस्ताक्षर थे तब परिवादी के अधिवक्ता ने कोई कानुनी गलती न हो, इस कारण दिनांक 09.04.2014 को पुनः आरोपी को सूचना पत्र प्रेषित किया जिसकी परिवादी को प्राप्ति रसीद नहीं मिली तब परिवादी ने सलमा के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि उक्त हस्ताक्षर आरोपी की पत्नी सलमा के है जो साथ निवास करती है। उसके बाद भी आरोपी ने चेक की धन राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया इस कारण परिवादी ने उक्त परिवाद प्रस्तुत किया।

4— आरोपी पर परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार करते हुए विचारण चाहा तथा उसका अभिवाक लिखा गया तथा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसने प्रदर्श पी 1 का चेक परिवादी को बतौर सुरक्षा के लिये दिया था तथा पूर्व में उसका परिवादी से दिनांक 30.11.2013 को लोक अदालत में समझौता हुआ था किन्तु किशतों में राशि देने का अश्वासन दिया था तथा नगद धन राशि रुपये 15,000/— परिवादी को दी थी। आरोपी ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 30.11.2013 को शहर अंजड़ में दिन के किसी समय दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष दायित्व के अधीन परिवादी को चेक दिनांक 20.12.2013 को चेक क्रमांक 000008 धन राशि रुपये 58,000 /— एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा खरगोन में अपने हस्ताक्षर से प्रदान किया था?
2	क्या उक्त चेक आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से अनादरित हो गया?
3	क्या परिवादी के अधिवक्ता द्वारा मांग का सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बाद भी आरोपी ने उक्त चेक की धन राशि का भुगतान विधिवत समयावधि में परिवादी को नहीं किया?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

—: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3,4 का निराकरण :-

6— उपरोक्त चारों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक-साथ किया जा रहा है।

7— उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में मुर्तुजा शाकीर (प.सा.1) का कथन है कि उसकी म.प्र. हार्डवेयर के नाम से मेन रोड ठीकरी, जिला बड़वानी में हार्डवेयर की फर्म होकर वह उक्त फर्म का प्रो.पा. है तथा आरोपी असफाक नहर केनल के निर्माण कार्य का ठेकेदार है। आरोपी ने उसकी फर्म से सिमेंट उधार क़य की थी, जिसके भुगतान के लिये उसे चेक दिया था जो अनादरित हुआ था, जिसके संबंध में आरोपी के विरुद्ध अंजड़ न्यायालय में परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एवं भा.द.वि. की धारा 420 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण क्रमांक 496/13 था। आरोपी ने न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में समझौता कर न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से चेक की राशि एक मुश्त लौटाने का आश्वासन दिया था। दिनांक 30.11.2013 को साक्षियों के समक्ष पेश राजीनामा भी उसके पक्ष में लिखकर समझौता राशि के भुगतान हेतु उसे आरोपी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा खरगोन के अपने खाते नम्बर 09202560001147 का चेक क्रमांक 000008 दिनांक 20.12.2013 का रुपये 58,000 /— का अपने हस्ताक्षर से दिया था, जिस चेक के भुगतान के लिये उसने बैंक भारतीय स्टेट शाखा ठीकरी में जमा किया था जो बैंक से दिनांक 24.02.2014 को इस टीप के साथ उसे वापस मिला था कि आरोपी के खाते में अपर्याप्त धन राशि है, इस तरह आरोपी के खाते में चेक के भुगतान हेतु राशि

नहीं होने से चेक अनादरित हो गया।

8— परिवारी का यह भी कथन है कि उसने अपने अधिवक्ता लोकेन्द्र वर्मा कसरावद के माध्यम से उक्त चेक की राशि की मांग का विधिवत सूचना पत्र दिनांक 25.03.2014 को आरोपी को दिया था, जो आरोपी को उसके निवास स्थान पर दिनांक 31.03.2014 को मिलने का सूचना पत्र की प्राप्ति उसके अधिवक्ता को दिनांक 07.04.2014 को मिली जिसमें सलमा नाम की महिला के हस्ताक्षर थे, तब उसके अधिवक्ता द्वारा कोई कानूनी गलती न हो जाये इस कारण पुनः आरोपी को दिनांक 09.04.2014 को सूचना पत्र प्रेषित किया जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, बाद में उसके द्वारा सलमा नाम की महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ था कि उक्त हस्ताक्षर आरोपी की पत्नी सलमा के है जो आरोपी के साथ निवास करती है, इस प्रकार आरोपी को दिनांक 25.03.2014 को सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी आरोपी ने चेक की राशि का भुगतान उसे नहीं किया इसलिये उसके द्वारा यह परिवार प्रस्तुत किया गया है।

9— परिवारी ने अपने समर्थन में आरोपी द्वारा उसे दिया गया चेक प्रदर्श पी 1 उसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है, बैंक का मेमो प्रदर्श पी 2, चेक बैंक में प्रस्तुत करने की रसीद प्रदर्श पी 3, उसके अधिवक्ता द्वारा भेजा गया सूचना पत्र प्रदर्श पी 4 एवं प्रदर्श पी 5, उसकी डाक रसीद प्रदर्श पी 6 एवं प्रदर्श पी 7, प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी 8 एवं प्रदर्श पी 9, आरोपी और उसके बीच पूर्व में अंजड में हुए आपसी राजीनामा प्रदर्श पी प्रदर्श पी 10 जिसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है एवं अंजड न्यायालय का आदेश प्रदर्श पी 13 भी प्रमाणित किया है।

10— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवारी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध परिवार अंजड न्यायालय में 3 साल पहले रुपये 44,600/- का लगाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जो चेक आरोपी ने दिया वह म.प्र. हार्डवेयर के नाम से था जो उसके नाम से नहीं दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह म.प्र. हार्डवेयर का प्रोपाईटर है, ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रकरण में पेश नहीं किया है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि पुराने परिवार में किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को सूचना पत्र दिया था उसकी प्राप्ति पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सलमा के हस्ताक्षर है जो आरोपी की पत्नी है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो राजीनामा हुआ था वह दिनांक 30.11.2013 को हुआ था तथा आरोपी ने उसे रुपये 15,000/- दे दिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे ग्राम बलकवाड़ा की उसकी दुकान पर आने-जाने वाले ग्राहकों ने यह बताया था कि सलमा आरोपी की पत्नी है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि किस ग्राहक ने उसे जानकारी दी थी कि सलमा आरोपी की पत्नी है। इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने राजीनामा के रुपये 15,000/- नगद देने के बाद शेष राशि का

भुगतान उसे कर दिया था अथवा आरोपी द्वारा शेष राशि का भुगतान करने के बाद भी आरोपी का चेक वापस नहीं किया, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी ने यह कहा था कि वह भुगतान कर देगा चेक मत लगाओ। परिवारी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध असत्य परिवार पेश किया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11— स्पष्ट रूप से आरोपी ने प्रदर्श पी 1 का चेक परिवारी को दिनांक 30.11.2013 को देना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा परिवारी और अपने मध्य अंजड़ न्यायालय में हुए आपसी राजीनामें और उसके आदेश प्रदर्श पी 10, 11, 12 एवं प्रदर्श पी 13 को भी सही होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में विवाद केवल इस संबंध में रह जाता है कि— क्या उक्त चेक आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवारी को प्रदान किया गया था?

12— आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क के दौरान प्रदर्श पी 1 का चेक म.प्र. हार्डवेयर स्टोर्स, ठीकरी के पक्ष में जारी करना बताया है तथा परिवारी को उक्त म.प्र. हार्डवेयर का प्रोपाईटर नहीं होने के संबंध में भी तर्क किया है, लेकिन न्यायालय में पूर्व के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 496/13 में पारित राजीनामा आदेश एवं आपसी राजीनामा की प्रतियां परिवारी की ओर से प्रदर्शित करवाई गई है, जिसे आरोपी ने सही होना स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि पूर्व का आपराधिक परिवार भी इसी परिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उक्त परिवार में परिवारी ने स्वयं को म.प्र. हार्डवेयर, ठीकरी का प्रोपाईटर होना बताया है तथा लोक अदालत का आदेश प्रदर्श पी 13 में भी परिवारी का नाम म.प्र. हार्डवेयर के प्रोपाईटर के रूप में लिखा है। ऐसी स्थिति में जबकि उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी 10, 11, 12 एवं प्रदर्श पी 13 को आरोपी ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में सही होना स्वीकार किया है तो उक्त स्वीकृत दस्तावेजों के विपरीत आरोपी की मौखिक आपत्ति एवं तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं कि परिवारी म.प्र. हार्डवेयर ठीकरी का प्रोपाईटर नहीं है, परिवारी की ओर से तर्क के दौरान उक्त म.प्र. हार्डवेयर का प्रोपाईटर स्वयं को होने के संबंध में वाणिज्यिक कर आयुक्त, म.प्र. इंदौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी टिन नम्बर के साथ प्रस्तुत किया गया है।

13— परिवारी अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आरोपी ने पूर्व के प्रकरण में हुए राजीनामें के आधार पर परिवारी को प्रदर्श पी 1 का चेक देना स्वीकार किया है और उक्त प्रदर्श पी 1 का चेक आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से अनादरित हुआ है। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित होता है।

14— यह सही है कि आरोपी ने प्रदर्श पी 1 के चेक में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा उक्त चेक परिवारी से लोक अदालत दिनांक 30.11.

2013 में हुए राजीनामों के आधार पर परिवादी को देना भी स्वीकार किया है तथा उक्त चेक आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने से ही अनादरित हुआ है। माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत अनिता विरुद्ध अरुण कुमार तथा अन्य 2016 (1) एम.पी.एल.जे.पृ. 195 में यह अवधारित किया गया है कि लोक अदालत में पक्षों के बीच समझौता हो तो समझौते को ध्यान में रखते हुए आरोपी ने चेक जारी किया जो वापस आया तथा उक्त चेक के अनादरण के लिये दूसरा परिवाद दायर किया गया, लेकिन उक्त दूसरा चेक दायित्व के उन्मोचन के लिये जारी किया गया था, बल्कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध नहीं बनता है तथा समझौते पर अमल करना और वसूली वाद पेश करने के लिये परिवादी को उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई है।

15— इस प्रकार स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा इस प्रकरण में प्रदर्श पी 1 का चेक उभय पक्षों के मध्य न्यायालय में लोक अदालत में दिनांक 30.11.2013 को समझौते के आधार पर जारी किया गया था जो कि दायित्व के अधीन या ऋण उन्मोचन के लिये आरोपी द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी किया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जो कि परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित होने के लिये आज्ञापक है।

16— ऐसी स्थिति में उक्त न्याय दृष्टांत अनिता विरुद्ध अरुण कुमार तथा अन्य में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा प्रदर्श पी 1 का चेक परिवादी के पक्ष में किसी ऋण अथवा अन्य दायित्वों का पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये जारी किया गया था।

17— अतः आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी असफाक ठेकेदार पिता मुस्ताक, उम्र 33 वर्ष, निवासी बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है।

18— आरोपी के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

19— प्रकरण में जप्त संपत्ति नहीं है ।

20— आरोपी के अभिरक्षा में होने के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

